

08.08.2023

पत्रावली पेश। पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

पत्रालवी वर्ष 1996 से लंबित चली आ रही है, लेकिन केवल 5 ही साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये जा सके हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जाये कि वह साक्षी प्रस्तुत न किये जाने के तथ्यों को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को अवगत करायें।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक-24.08.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-6/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), प्रतापगढ़।